स्पेशल टास्क फोर्स, उ0प्र0 लखनऊ

प्रेस नोट संख्याः 344, दिनांकः 29—10—2021

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को 25.300 किग्रा अवैध चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमूल्य लगभग 50,000,00 रूपये) सहित एस0टी0एफ उ0प्र0 एवं थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर नगर ने किया गिरफ्तार।

दिनॉकः 28—10—2021 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को अन्तर्राष्ट्रीय अवैध चरस तस्कर को 25.300 किग्रा अवैध चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमूल्य लगभग 50,000,00 रूपये) सहित जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1— अजय कुमार अग्रवाल उर्फ राजन पुत्र शिवशंकर प्रसाद अग्रवाल निवासी आदर्श नगर वार्ड, न0 10, जनपद बीरगंज नेपाल हालपता गोमती मेडिकल स्टोर, रामगली, थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

बरामदगी—

1— 25 किलो 300ग्राम अवैध चरस(अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमूल्य लगभग 50,000,00 रूपये।)
2— 02 अदद मोबाइल फोन।
3— 01 अदद आधारकार्ड।
4— 01 अदद पेनकार्ड ।
5— 01 अदद ड्राईवरी लाईसेन्स।
6— 01 अदद नेपाल का वोटर आईडी कार्ड।
7— 01 अदद रक्सौल से गोरखपुर तक द्वितीय क्लास स्लीपर रेलवे टिकट।
8— नगद 1170 रूपये ।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय— किदवई नगर रोड बृन्दावन लॉन के पास कानपुर नगर समय करीब 22:45 बजे ।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनो से विभिन्न माध्यमो से निरन्तर यह सूचनाये प्राप्त हो रही थी, भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य पुनः सक्रिय हो गये है, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में भारी मात्रा मे चरस की खेप कैरियरो के माध्यम से भेजने वाले है।

इस सूचनाओ को विकसित कर अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन करने एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री डी0के0 शाही, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, कानपुर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री लान सिंह एवं आरक्षी अब्दुल कादिर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, कानपुर के नेतृत्व में अभिसूचन संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

अभिूसचना संकलन के दौरान दिनांकः 28–10–2021 को विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले गिरोह का एक सदस्य अवैध चरस की खेप लेकर बस द्वारा नेपाल से रक्सौल, गोरखपुर होते हुए कानपुर दिनांक 28–10–2021 को आयेगा, जहॉ से इसकी आपूर्ति उ0प्र0 के जनपद कानपुर नगर व देहात, हमीरपुर एवं उन्नाव क्षेत्र में की जायेगी। इस अभिसूचना को जनपद कानपुर नगर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों से साझा करते हुए निरीक्षक श्री लान सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 की एक टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर कमिश्नरेट पुलिस के साथ क्षेत्रान्र्तगत किदवई नगर रोड बृन्दावन लॉन के पास पहुचे, जहॉ पर मुखबिर द्वारा बृन्दावन लॉन की तरफ खडे एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया गया कि वह व्यक्ति जिसके हाथ में पीले व लाल फूलदार बैग है वही व्यक्ति चरस लेकर आया है। इस अपनी उपस्थिति छिपाते हुए घेराबन्दी कर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि नेपाल के चरस तस्कर, नेपाल से चरस लाकर भारत–नेपाल सीमा पर कहीं छिपाकर रख देते हैं तथा मॉग के अनुसार भारत में चरस अपने साथियों की मदद से भेज देते हैं। यह अवैध चरस को नेपाल के बीरगंज से लेकर रक्सौल बिहार तक लोकल साधन से आया था तथा रक्सौल से गोरखपुर तक ट्रेन से गोरखपुर से कानपुर तक बस से आया था। जिसे कानपुर में शईद उर्फ मोटा पुत्र मुन्ना हालपता 101/42 गम्मू खॉ का हाता थाना कर्नलगंज कानपुर नगर एवं मुनीर उर्फ मुन्ना निवासी उदईपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को देनी थी, कि आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त विरूद्ध थाना नौवस्ता कमिश्नरेट कानपुर नगर में मु0अ0स0 957/21 धारा 8/20/22/23/25/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर वैधानिक स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।